

आत्मनिर्भर भारत के नव निर्माण में नई शिक्षा नीति

Dr. Amit Kumar Das

(Assistant Professor)

Teachers' Training College, Bhagalpur

Plot No. D-9,10 & N.S. Plot Large Industrial Estate, Barari, Bhagalpur - 812003

Email- amitkrdas261077@gmail.com

सार (Abstract)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत को एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और ज्ञान-आधारित वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए तैयार की गई एक युगांतकारी पहल है। पारंपरिक मैकाले शिक्षा पद्धति की रटत प्रणाली और केवल डिग्री-केंद्रित सोच को समाप्त कर, यह नीति अनुभवात्मक शिक्षण, नवाचार (Innovation), व्यावहारिक कौशल और अनुसंधान पर विशेष बल देती है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में शिक्षा केवल रोजगार पाने का साधन नहीं, बल्कि रोजगार-सृजन (Entrepreneurship) और राष्ट्र-निर्माण का मुख्य आधार है।

स्कूली शिक्षा में बदलाव: पुरानी 10+2 संरचना को समाप्त कर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया है। इसमें कम उम्र से ही कोडिंग, तार्किक चिंतन और व्यावहारिक ज्ञान पर ध्यान दिया जाता है।

व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education): कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटरशिप को अनिवार्य किया गया है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बनकर अपनी रुचियों के अनुसार स्वरोजगार चुन सकें।

बहु-विषयक दृष्टिकोण (Multidisciplinary Learning): उच्च शिक्षा में कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच की कठोर सीमाओं को हटाकर लचीली शिक्षा और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) के साथ मल्टीपल एंट्री-एग्जिट विकल्प दिए गए हैं।

मातृभाषा में शिक्षा: प्रारंभिक स्तर पर स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है, जिससे समझ की नींव मजबूत होती है।

अनुसंधान एवं नवाचार: नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) के माध्यम से देश में शोध और नई तकनीकों (AI, रोबोटिक्स) को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बीज शब्द (Keywords): आत्मनिर्भर भारत, नई शिक्षा नीति 2020, व्यावसायिक शिक्षा, नवाचार, बहु-विषयक अध्ययन, कौशल विकास।

प्राथमिक शिक्षा में संज्ञानात्मक, बौद्धिक और कौशल विकास का ध्यान रखते हुए बालक के मस्तिष्क विकास को विकसित करने का प्रयास किया गया है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए शुरुआती वर्षों में आहार पोषण का भी ध्यान रखा गया है। बच्चों के प्रारम्भ में 3 से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ियों, बालवाटिकाओं और प्ले स्कूलों में शिक्षा देने की बात कहीं गयी है, तथा आगे की शिक्षा 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित की गयी है। जिसके द्वारा बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, और मनोवैज्ञानिक विकास के साथ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं हितों को ध्यान रखा गया है। नई शिक्षा नीति जहाँ लोगों की

जिज्ञासा, खोज, चर्चा और विश्लेषण पर बल देती हैं, वहीं इस तरह के संरचनात्मक ढाँचे में बदलाव को भी सम्मिलित किया गया है कि लोगों की रुचि शिक्षा की ओर बनी रहे तथा इसके द्वारा कुशल नागरिकों को तैयार कर रोजगार से युक्त बनाया जा सके। शिक्षकों के प्रशिक्षण, गुणवत्ता, प्रोन्नति वेतनमान की भी उचित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नई शिक्षा नीति में सबके लिए स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व और न्याय के साथ मानवीय गुणों, समाजकल्याण, जागरूक, सुसंस्कृत व्यक्ति से युक्त राष्ट्र की परिकल्पना की गयी है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं विद्यमान हैं जिसमें विषयों के बीच में कठोर विभाजन रेखाएं, अध्यापकों की सीमित संख्या, स्वायत्तता की कमी, उच्चकोटि के अनुसंधान की कमी, कमजोर संस्थागत अभिशासन।

नई शिक्षा नीति में उच्च अनुसंधान एवं उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। लेकिन नई शिक्षा नीति की सफलता भविष्य में सरकार तथा लोगों की रुचि, सफल क्रियान्वयन से निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के नवनिर्माण में सफल शिक्षा नीति साबित होगी।

शिक्षा लोगों का मौलिक अधिकार के साथ-साथ भावी पीढ़ी के मौलिक कर्तव्य भी है। पूरा विश्व शिक्षा को मनुष्य का मौलिक मानवाधिकार के रूप में देखता है। शिक्षा के स्वरूप के निर्धारण के भारतीय गणराज्य में भी समय-समय पर अनेक आयोगों या समितियों ने निर्धारित करने का काम किया है, जिससे सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा नीति 1986 के आधार पर शिक्षा का संचालन किया जाता रहा है। समय के साथ-साथ समाज में बदलाव के साथ विकास को तेज गति प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जा रहा है जो निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

समाजशास्त्र में शिक्षा का अभिप्राय एक संसाधन से है, जिसमें भाषा, ज्ञान और कुशलता की शिक्षा प्रदान की जाती है। जो एक या अनेक विषय के विशेषज्ञ शिक्षा के बदले कुछ लेकर प्रदान करते हैं। शिक्षा एक क्षमता होती है जिसे परिश्रम के द्वारा हासिल किया जाता है, शिक्षा का विशेष चरित्र होता है, जो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करती है। समाजशास्त्र पूर्व प्रचलित मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है, जिसमें यह कहा गया है कि शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, शिक्षा से सदगुण उत्पन्न होते हैं।

समाजशास्त्र की मान्यता है कि शिक्षा शासन का अधिकरण है, शासक समूह और शासक वर्ग अपने हितों की शिक्षा प्रदान करते हैं। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि जब भी शासन बदलेगा शिक्षा का चरित्र भी बदलेगा। टालकट पारसंस यह स्वीकार करते हैं कि "स्कूलों में ठीक वही होता है जो आधिकारिक विचारधारा कहती है।" पारसंस का यह कहना संभवतः सही था कि किसी सामंतवादी समाज या जाति विभाजित समाज की तुलना में यहां उपलब्धि की भूमिका ही महत्वपूर्ण थी। शिक्षा के संबंध में पारसंस अपना विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि:

- 1- यह पूछो कि उस समाज में उसकी भूमिकाओं, उसके समूहों, आपसी संबंधों तथा उनके मानकों के अर्थ में।
- 2- यह पूछो कि उस समाज में भूमिकाएं आवंटित करने में शिक्षा किस प्रकार काम करती है।
- 3- शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार समाजीकरण होता है तथा भूमिकाओं के आवंटन पर समाजीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है।

पारसंस का यह भी मानना है कि शिक्षा समाज को जरूरी नहीं हैं कि एकीकृत करे, वास्तव में शिक्षा एक मध्यवर्गीय चिंता है, जिसमें निम्नवर्ग एक स्तर के बाद पढ़ना नहीं चाहता हैं या पढ़ नहीं पाता हैं। उच्च वर्ग हमेशा अपने आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों के कारण शिक्षा पर कब्जा बनाए रखता हैं चाहे परिस्थितियां न उसके विपरीत ही न हो। भारत में भी शिक्षा का रूप कुछ ऐसा ही हैं जिसके पास सर्वाधिक संसाधन है वह किसी भी तरह शिक्षा को हासिल करने में सफल हो सकता है और संसाधनों के कारण अधिक ज्ञान वाले लोगों को भी खरीद लेता हैं।

समाजशास्त्र में शिक्षा के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। दुर्खीम (दुखिम) जिनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता हैं, ने अपना प्रकायवाद दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि— "शिक्षा अधिक आयु के लोगों के द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसका उद्देश्य शिक्षा में बौद्धिक, भौतिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है" तथा समाज के अनुरूप होने के कारण समाज में व्यवस्था बनाये रखती है। शिक्षा ही वह साधन है जो भविष्य की भूमिकाओं को निभाना सिखाती हैं।

मार्क्सवादी और संघर्षवादी विद्वानों में मुख्य रूप से पियरे बोरदिए (पियारे बोरदिए) ने सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कहा कि "उच्च वर्गों की संस्कृति किसी भी अर्थ में निम्न वर्गों की संस्कृति से ऊंची होती हैं"। बोरदिए कहते हैं कि शिक्षा पद्धति का विकास ही इस तरह किया गया है कि उच्च वर्ग के लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके, जिसमें यद्यपि निम्न वर्गों का कोई दोष नहीं है लेकिन संसाधनों की कमी और संस्कृति के दृष्टिकोण के कारण यह हमेशा निम्न बनी रहती है। शिक्षा हमेशा उच्च वर्गों के लिए संस्कृति का पुनरुत्पादन करती रहती है जिससे उनके पास उच्च शिक्षा से उच्च संस्कृति और उच्च संस्कृति से उच्च पूंजी बनी रहती हैं।

उच्च शिक्षा —> उच्च संस्कृति —> उच्च पूंजी

भारत में लोगों की पहचान जाति के आधार पर होती है। जिसमें सवर्ण जातियों के पास सर्वाधिक संसाधन, शिक्षा, संस्कृति विद्यमान रही है। जिसके कारण इनके पास उच्च शिक्षा, संस्कृति और पूंजी पर पकड़ बनी हुई हैं। जिसको हम किरण वडेहरा एवं जॉर्ज कोरेथ की पुस्तक "ग्रामीण महिला सशक्तिकरण" में राजस्थान के भरतपुर जिला के अद्वारह अलग-अलग गांव के अध्ययन से स्पष्ट देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल होने के बाद भी किस प्रकार सबसे अधिक आय एवं शिक्षा को प्राप्त कर सकी हैं।

महिला शैक्षणिक योग्यता

जाति	अशिक्षित (%)	शिक्षित (%)	कुल योग
ब्राह्मण	46.7	53.3	100
क्षत्रिय	72.7	27.3	100
वैश्य	-	100	100

अनुसूचित जाति	90.0	10.0	100
अनुसूचित जनजाति	90.0	10.0	100
अन्य पिछड़ा वर्ग	76.8	23.3	100

पुरुष पतियों की आय एवं जातियां (आय रुपया में)

जाति	निम्न (1500 रु. तक)	मध्यम (1600 से 2400 तक)	उच्च (2500 से अधिक)	कुल योग
ब्राह्मण	50.0	-	50.0	100
क्षत्रिय	16.7	16.7	66.7	100
वैश्य	-	-	100	100
अनुसूचित जाति	7.7	76.9	15.4	100
अनुसूचित जनजाति	40.0	40.0	20.0	100
अन्य पिछड़ा वर्ग	40.0	26.0	34.0	100

भारत पर कुछ लोगों का धीरे-धीरे अधिकार बढ़ता जा रहा है। अल्थूजर (अल्लथूसर) ने यह स्वीकार किया है कि "समाज में जो आधिपत्य आता है उसका कारण केवल आर्थिक नहीं है, यहाँ कार्ल मार्क्स गलत हैं; इस आधिपत्य का कारण अर्थव्यवस्था, राजनीति और विचारधारा का गैर-बराबर विकास है।" रोमानिया के विद्वान इवान इलिच ने अपनी पुस्तक द डी-स्कूलिंग सोसाइटी में कहा है कि समाज के समर्थवान समूह अपनी विचारधारा का प्रशिक्षण शिक्षा के द्वारा प्रदान करते हैं। वे शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से एक अदृश्य पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिसमें वफादारी और अनुशासन सिखलाई जाती हैं। शिक्षा व्यवस्था पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रमों को थोपती है, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार बढ़ने नहीं देती हैं, इसलिए उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। इवान इलिच ने कहा कि "शिक्षा स्कूलों द्वारा नहीं बल्कि कार्यालयों, कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान किया जाए।"

भारत सरकार भी शिक्षा के निजीकरण की ओर बढ़ रही है। देश में सरकारी शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाएं बढ़ रही हैं। अब सरकार भी शिक्षा के पी.पी.पी. मॉडल की ओर बढ़ रही है। आने वाले समय में शिक्षा पर सम्पूर्ण अधिकार पूंजीपतियों का हो जायेगा। वर्तमान शिक्षा में प्रमुख रूप से तीन समस्याएं स्पष्ट होती हैं जिसमें एक समानता की, दूसरी

गुणवत्ता की, तीसरी संख्या की। भारत में सामाजिक संरचना, संस्कृति, संसाधन की कमी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं चाहे वह स्त्री शिक्षा हो, पिछड़ी जाति की शिक्षा हो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा ही क्यों न हो।

शिक्षा को संस्कृति का वाहक माना जाता है लेकिन यह विवादास्पद विचार है। अनेक विद्वान शिक्षा को संस्कृति का एवं मुख्यधारा का वाहक मानते हैं। अनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया से संस्कृति का शिक्षण प्रदान करती है। यद्यपि संस्कृति की धारणा स्पष्ट नहीं है। सामान्यतया माना जाता है कि संस्कृति, प्रतीकों, बोली, भाषा, साहित्य, संगीत की व्यवस्था है; कभी-कभी नियमों की व्यवस्था, प्रथा, आदर्श की व्यवस्था है, ज्ञान विचार और विचारधारा की व्यवस्था माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में शिक्षा संस्कृति की वाहक है लेकिन भारत जैसे देश में स्पष्ट करना मुश्किल है कि भारतीय आदर्श संस्कृति किसे मानें, भारत में विविधता होने के कारण प्रत्येक धर्म, जाति, सम्प्रदाय, शिक्षा, भाषा, बोली, साहित्य, संगीत की आदर्श व्याख्या करना मुश्किल है।

शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे लोगों का समाजीकरण किया जाता है। यह व्यक्तियों को और विद्यार्थियों को भविष्य की भूमिकाएं निभाना सिखाते हैं। बॉटोमोर ने लिखा है कि— "शिक्षा निश्चय ही नयी पीढ़ी का समाजीकरण करती है लेकिन सामाजिक आवश्यकताओं और संगठन के अनुसार इसके रूप में सदैव परिवर्तन होता रहता है।" लेकिन शिक्षा का निश्चित रूप न होने के कारण कभी-कभी यह द्वेष, असंतोष तथा अपराधियों को भी जन्म देती है। नई शिक्षा नीति में इस समस्या के समाधान का उपाय नहीं बताया गया है।

वैलेंटाइन ने कहा था कि— "शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का ऐसा अभिकरण है जो एक संगठित कार्यक्रम प्रस्तुत करके समाज को संगठित बनाता है।" शिक्षा ही वह माध्यम है जो विभिन्न तरह की असमानता को खत्म करके एकीकरण उत्पन्न करती है। पूर्व शिक्षा ही लोगों को प्रशिक्षित करती है और सम्मान देती है, हमारे लक्ष्यों को तय करती है जो समाज के लिए आवश्यक माने जाते हैं जिसके आधार पर समाज संगठित होता है। शिक्षा ही ऐसी संस्था है जो हमें हमारी भूमिकाओं, अनुशासन, पाठ्यक्रम, परिवेश और सुविधाओं को बताती है। लेकिन भारत में शिक्षा का चरित्र असमान है जिससे लोग विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के कारण यह कम जानकार लोगों को हटा देती है। अमर्त्य सेन ने भी 1970 में भारतीय शिक्षा का आकलन करते हुए कहा कि भारत में शिक्षा व्यवस्था असमान है, इस असमानता के आधार अलग-अलग हैं:

1. मध्य वर्ग कुशल होता है, निम्नवर्ग पिछड़ जाता है।
2. जो केंद्रीय क्षेत्र होता है उनमें शिक्षा बेहतर होती है, देहाती इलाकों में शिक्षा का क्षेत्र निम्न होता है।
3. शिक्षण संस्थान के स्तर अलग-अलग होते हैं, ऐसे शिक्षण संस्थान जिसमें अधिक शुल्क लिया जाता है उनका स्तर बेहतर होता है।
4. स्कूल चलाने वाले संगठन भी शिक्षा के स्तर को प्रभावित करते हैं।

नई शिक्षा नीति में इस समस्या के समाधान का उपाय किया गया है।

शिक्षा से समाज का सबलीकरण होता है, शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग शक्तिशाली होते हैं ऐसा माना जाता है। मिशेल फूको ने कहा है— "ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति तीनों आपस में एक त्रिभुज के समान हैं; बिना ज्ञान के शक्ति नहीं, शक्ति के बिना व्यक्ति नहीं की बात कही जाती है।" लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सामान्य शिक्षा से सशक्तीकरण नहीं होता है जिसमें दीपांकर गुप्ता का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। शिक्षा शक्ति का स्रोत नहीं है अर्थात् सभी प्रकार की शिक्षा सबलीकरण में सहायक नहीं होती है। नई शिक्षा नीति में इसके लिए कौशल विकास को सम्मिलित किया गया है, जिससे लोग आत्मनिर्भर होंगे।

भारत में स्वतंत्रता से पहले अनेक पार्टियों ने यह घोषणा की कि सत्ता में आने पर हम सबके लिए शिक्षा का प्रावधान करेंगे। संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का दायित्व राज्य का होगा, जिसे बाद में समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया, तथा राज्य का दायित्व होगा कि वह अपने सुविधाओं के आधार पर कमजोर श्रेणियों को शिक्षा प्रदान कर जन शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करें। इसलिए 1952 में प्राथमिक शिक्षा के लिए मुदालियर आयोग, 1964 में कोठारी आयोग बनाया गया। 1986 की शिक्षा नीति में यह घोषणा की कि भारत में पूरे विश्व से ज्यादा निरक्षर लोग हैं जिन्हें सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाये। इसी नीति ने साक्षरता की परिभाषा को बदलकर लिखने के साथ पढ़ना और समझना की योग्यता को ही साक्षर माना। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार अपने दायित्वों को पूरा न कर उदासीन बनी रहीं। जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा से हमें जो उपलब्धि प्राप्त होनी चाहिए थी उसको हम प्राप्त नहीं कर सके, जिसके उपाय के लिए जनसमुदाय को भागीदार बनाने का निश्चय किया गया कि अनेक धनी व्यक्ति अपने पूर्वजों की याद में शिक्षण संस्था खोलना चाहते हैं। बहुत लोग अपने समुदाय से मिलकर शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं, दक्षिण के अधिकांश राज्य शिक्षा को निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं।

शिक्षा एक ऐसा संसाधन है जो व्यक्तियों को कम या अधिक आगे बढ़ाता है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र, शिक्षा सभी को समान रूप से प्रभावित करती है। शिक्षा से लोगों की जीवन शैली बदल जाती है, लोगों के अंदर अनेक प्रकार की नयी सोच को जन्म देती है, लेकिन इसके कारण जब बेरोजगारी बढ़ती है एवं शिक्षा से रोजगार नहीं मिलता है तो युवक-युवतियां अपराध की ओर बढ़ने लगते हैं। नई शिक्षा नीति में कौशल के द्वारा रोजगार की बात कही गयी है। कौशल विकास योजना अगर सफल रही तो निश्चित रूप से सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करने वाली नीति साबित होगी।

शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आधुनिक एवं पारंपरिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार होता है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली विद्यमान है जिसमें "1.53 मिलियन स्कूल, 864 से अधिक विश्वविद्यालय, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 51 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं, 23 आईआईटी, 30 एनआईटी तथा 300 मिलियन छात्र हैं।"

31 मई को कस्तूरीरंगन समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया जिसमें द्विभाषा और त्रिभाषा का फार्मूला भी दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 में स्नातक पाठ्यक्रम को संशोधित कर लिबरल साइंस/आर्ट्स को 4 वर्षीय करने का विचार किया गया है, वहीं एम.फिल जैसे कार्यक्रमों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब सरकार ने 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए 5+3+3+4 का डिजाइन तैयार किया गया है एवं निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण 12(1) की धारा के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की उपस्थिति की भी समीक्षा करने की बात कही गयी है।

स्कूलों में शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण (SSRA) और उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी तथा स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं तथा उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया है। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। 2030 तक 3-18 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। विद्यालय पूर्व व विद्यालय के बाद के समय में कमजोर छात्रों के लिए रेमेडियल कक्षाएं संचालित करने की बात कही गयी है। भाषा, गणित, लेखन कौशल पर बल देने के कारण समिति का विचार है कि भाषा मेला व गणित मेला का भी आयोजन किया जाये। 2030 तक कक्षा 12 तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गयी है। 2022 तक शिक्षा में आमूलचूल बदलाव कर बच्चों के अंदर रटने के स्थान पर तार्किक चिंतन, सृजनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, संवाद, सहयोग की क्षमता, बहुभाषी भाषा, सामाजिक जिम्मेदारी और सरोकार के साथ ही डिजिटल विकास/साक्षरता को बढ़ावा देने की बात कही गयी है। ऐसे कदम निश्चित रूप से भारत के आत्मनिर्भर नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

शिक्षा में बदलाव के साथ ही साथ जब तक हम शिक्षा से रोजगार, स्वरोजगार को नहीं जोड़ेंगे तब तक सामान्य शिक्षा हमारे लिए सामाजिक प्राणी उत्पन्न करता रहेगा, जबकि शिक्षा में सामाजिक प्राणी के साथ ही रोजगार भी आवश्यक है। शिक्षा में जब तक समाज की कमजोर श्रेणियों को विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति, महिलाओं का समान रूप से भागीदार नहीं बना पाते हैं तब तक शिक्षा के लक्ष्य को तथा आत्मनिर्भर भारत की कल्पना साकार नहीं हो पायेगी।

शिक्षा में समान पाठ्यक्रम और समान गुणवत्ता को बनाये रखने की आवश्यकता है जिससे कि हम पूंजीवादी शैक्षणिक स्तरीकरण को कम कर सके और समान शिक्षा व समान अवसर उपलब्ध करा सकें। शिक्षा में वर्तमान तथा भविष्य के राजनीतिज्ञों, समाज सेवकों, प्राध्यापकों, अभिभावकों को शिक्षा की बदलती प्रकृति का ध्यान रखना पड़ेगा। छात्र-छात्राओं को भी अपनी रुचि बनाये रखनी होगी। सरकार को भी अपनी व्यवस्था का समय के अनुसार बार-बार निरीक्षण करके सुधार करते हुए आगे बढ़ना होगा। हम तभी शिक्षा के नये उद्देश्यों को प्राप्त कर पायेंगे तथा भारत को आत्मनिर्भर बना पायेंगे जब भारत का प्रत्येक नागरिक इसके लिए कटिबद्ध और समर्पित होगा।

“जो समाज नलसाजी में उत्कृष्टता को हीन दृष्टि से देखते हुए उसका तिरस्कार करता हो और दर्शनशास्त्र के अधकचरे ज्ञान को भी उदात्त कार्य मानते हुए स्वीकार कर ले, उसमें न तो नलसाजी का काम ढंग से हो पाएगा और न वह दर्शनशास्त्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर पायेगा। ऐसे समाज के न तो नलों में पानी होगा और न उसकी सोच युक्तिसंगत होगी।”

— जॉन डब्ल्यू. गार्डनर

सन्दर्भ सूची:

1. वडेहरा किरण एवं जॉर्ज कोरेथ, महिला सशक्तिकरण, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2017, पेज-55
2. दोषी एस.एल., आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010, पेज-139
3. अग्रवाल जी.के., समाजशास्त्र, बी.ए. द्वितीय वर्ष, एस.वी.पी.डी. पब्लिकेशन हाउस, आगरा, 2017, पेज-240
4. अग्रवाल जी.के., समाजशास्त्र, बी.ए. द्वितीय वर्ष, एस.वी.पी.डी. पब्लिकेशन हाउस, आगरा, 2017, पेज-162

5. अग्रवाल जी.के., समाजशास्त्र, बी.ए. द्वितीय वर्ष, एस.वी.पी.डी. पब्लिकेशन हाउस, आगरा, 2017, पेज-240
6. दोषी एस.एल., आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010, पेज-330
7. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू इंटरनेट: नई शिक्षा नीति 2020